eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

युवा कार्य और युवा नीति प्रतिक्रियाएँ

[1]रिया यादव
[1]एम.एड. प्रशिक्षु, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर, उ0प्र0

Abstract

समाज में व्यक्ति का जन्म लेना एक जैविक आवश्यकता है। समाज मे मुख्यतः दो प्रकार के लिंग जन्म लेते है किन्तु कभी–कभी कोई व्यक्ति न तो स्त्री न ही पुरूष की श्रेणी मे जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति को समाज ट्रान्सजेंडर के रूप में मान्यता देता है। ट्रान्सजेंडर का लिंग जन्म के समय के नियत लिंग से मेल नही खाता है। वैसे तो ट्रान्सजेंडर को समाज में सम्मान की दृश्टि से नही देखा जाता है। फिर भी समाज में इनका अलग स्थान है। समाज इनको एक शुभ प्रतीक के रूप मे मानता है।

समाज के साथ–साथ कानूनी रूप से ट्रान्सजेंडर को पूरे अधिकार प्रदान किये गये है। ट्रान्सजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। सांसद ने इनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव न करने के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किये है जैसे–शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध उत्पादों तक पहुॅच कही भी आने–जाने का अधिकार, सम्पत्ति हासिल करने का अधिकार हैं। फिर भी कुछ निजी क्षेत्रों मे भेदभाव भी देखने को मिलते है जैसे–पहचान का मुद्दा, सामाजिक समस्याएॅ, बेरोजगारी, आवास की समस्या अन्य अधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक कलंक है। ट्रान्सजेंडर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके कानूनी अधिकार प्रदान करने मे एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रान्सजेंडर कानूनी रूप से अन्य जेंडर के समान अधिकार है। कानून के सामने समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गांरटी सविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अन्तर्गत की गयी है। किसी को लिंग चुनने का अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अर्न्तगत है, ट्रान्सजेंडर को भी समाज मे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और समाज मे एक सम्मानित नागरिक के रूप मे कार्य कर रहे है। वर्तमान समय मे ट्रान्सजेंडर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रशासनिक क्षेत्र मे पर्याप्त भागीदारी है। अन्तताः व्यतीत करने के लिए अग्रसर है।
शब्द बीज– भारत मे ट्रान्सजेन्डर, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार, न्याय।

Introduction

युवा को अक्सर ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, जो ऐसी आयु के बीच होता है, जहाँ वह अपनी अनिवार्य शिक्षा समाप्त करता। करती है और इसी दौरान अपना रोजगार तलाश करता/करती है, राष्ट्रीय युवा नीति–2014 में ‘युवा’ के लिए 15 से 29 वर्ष का आयु समूह परिभाषित किया गया है। इसका लक्ष्य विभिन्न नीतिगत उपायों के संदर्भ में अधिक फोकस दृष्टिकोण अपनाना है। ‘युवा’ की आयु और पृष्ठभूमि के अनुसार विभिन्न जरूरतों और सरोकारो का समाधान करने की आवश्यकता होती है। युवाओं के साथ सरकार की सम्बद्धता का दोहरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि सरकार युवाओं को जानकारी प्रदान करने और समग्र युवा विकास सक्षम बनाने के लिए युवाओं से अवश्य जुड़े। दूसरा यह है कि वह उन मुद्दों, नीतियों और विशेष कार्यक्रमों,

विशेषकर युवाओं पर सीधे प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के बारे में युवाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके साथ अवश्य जुड़े। युवाओं के साथ जुड़ने और युवाओं में नेतृत्व का विकास और अंतर–वैयक्तिक कौशल सुनिश्चित करने से ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ी बनाने में मदद मिलेगी, जो नागरिक, सामाजिक और रणनीतिक प्रगति के प्रति वचनबद्ध हो। युवा मामले और ढोल मंत्रालय के जरिए भारत सरकार समग्र युवा विकास और नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा भागीदारी के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन करती है। नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास अक्सर एन.वाई.के.एस., एन.एस.एस. और एन.सी.सी. जैसे पूरा कार्यक्रमों के सह–उत्पाद होते हैं।

युवा क्या है?– युवा वह व्यक्ति होता है जिसको ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जाता है, जो ऐसी आयु के बीच होता है, जहाँ वह अपनी अनिवार्य शिक्षा समाप्त करता/करती है और इसी दौरान अपना रोजगार तलाश करता/करती है। राष्ट्रीय युवा नीति–2017 मैं युवा के लिए 15–29 वर्ष की आयु समूह परिभाषित किया गया है।

समाज में युवाओं की भूमिका– युवा समाज का भविष्य है। युवा पीढ़ी को बस समाज की वर्तमान स्थिति को नवीनीकृत करने, ताजा करने और बनाए रहने की आवश्यकता है। जब युवा, सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का योगदान देता है, तो वह एक सक्षम नेता बन जाता है और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकता है।

आज के युवाओं की जरूरत– युवाओं को अपने साथियों के साथ जुड़ने और इनके द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है युवा वयस्क नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे है। व्यवहार की उचित सीमाएँ निर्धारित करें। सदस्यों को नियमों पर निर्णय लेने और स्थापित सीमाओं के भीतर रहने में मदद करने दें।

शिक्षा में युवाओं की भूमिका– शिक्षा को बदलने में युवाओं की भागीदारी के लिए स्थान और अवसर सभी स्वरों पर बनाए और बनाए रखे जाने चाहिए–वैश्विक स्तर और एस.डी.जी. 4 के आसपास के काम से लेकर क्षेत्रीय, देश तक। युवा हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर शिक्षा के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण एजेंसी, का प्रतिनिधित्व करते हैं।

युवा समाज को कैसे प्रभावित करता है?– युवाओं के उत्साह और ऊर्जा का उपयोग पूरे समाज को पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में करना चाहिए। अपने समूह और आशावादी दृष्टिकोण के साथ, युवा लोग जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं और हमारे ग्रह को बढ़ती हुई जलवायु पिघलते बादलों और वैश्विक तरंगों के अन्या खतरनाक परिणामों से उभरने में वास्तविक अंतर ला सकते हैं। आज की दुनिया में युवाओं का सामाजिक प्रभाव पड़ता है। किशोर और युवा वयस्क में सबसे प्रभावशाली लोगों में से कुछ हैं और जब पर्यावरण अनुकूल पहल और अन्य पर्यावरण सांख्यिकी छात्रों की बात आती है तो वे सकारात्मक बदलावों में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

युवाओं का सामाजिक प्रभाव आज के समाज में विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण कारक है। गुड़िया और युवा फिल्म के रूप में हमारे पास अपने नेटवर्क और दुनिया में सकारात्मक बदलाव की शक्ति है। हमारा निर्णय स्थिरता से लेकर आर्थिक विकास तक कई क्षेत्रों में प्रभावशाली हो सकता

हम पर्यावरण–अनुकुल, पहल कर सकते हैं जो उत्पाद को कम करता है और ऊर्जा की रक्षा करता है। हम अपनी आवाज का उपयोग उन अपमानजनक चीजों के लिए भी कर सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा सुधार या जलवायु परिवर्तन कार्यवाई। अपने साथियों के साथ जुड़कर हम उन साथियों के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और समाधान की दिशा में मिलकर काम कर सकते हैं अपने कार्य के प्रति जागरूक रहकर और अपनी जिम्मेदारी लेकर, हम सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट बन सकते हैं।

युवा कार्य क्या है?– प्रभावी युवा कार्य युवाओं को गैर औपचारिक शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अपने, दूसरों और समाज के बारे में सीखने में मदद करता है जिसमे आनंद, चुनौती और सीखना शामिल होता है।

युवा कार्य के उद्देश्य– युवाओं को समग्र रूप से विकसित करने में सक्षम बनाना, उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिणिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके साथ काम करना, उन्हें समाज में, अपनी आवाज, प्रभाव और स्थान विकसित करने और अपनी क्षमता पहुंचने में सक्षम बनाना। युवा कार्य एक विशिष्ट शैक्षिक प्रक्रिया है जिसे एक युवा व्यक्ति के व्यक्गित, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक विकास में सहायता के लिए विभिन्न सेटिंग्स में अनुकूलित किया जाता है। इसकी शुरूआत युवा लोगों के साथ एक अद्वितीय, चुनौतीपूर्ण और विकासात्मक सम्बन्ध के विकास में होती है, जिसका उपयोग निम्न में किया जाता है–

- व्यावहारिक और जीवन कौशल सीखने की सुविधा प्रदान करें जिससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद मिलेगी।
- युवा लोगों की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण।
- युवा लोगों द्वारा स्वैच्छिक सहभागिता।
- अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा।
- समानता, विविधता और समावेशन।
- युवाओं के आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण करें।
- युवाओं के लिए सीखने के अवसर पैदा करें और नए कौशल विकसित करें।
- सकारात्मक समूह वातावरण को प्रोत्साहित करें।
- एक 'विश्व दृष्टिकोण' विकसित करें जो क्षितिज को व्यापक बनाता है और सामाजिक प्रतिबद्धता को आमंत्रित करता है।

युवा कार्य कहाँ होता है–

- युवा क्लब और युवा केन्द्र
- वर्दीधारी और स्वैच्छिक युवा संगठन
- युवा परामर्श इकाइयाँ

- युवा कैफे
- युवा कला समूह
- युवा कार्यवाई और भागीदारी समूह
- दवा और शराब परियोजनाएँ

युवा कार्य के सिद्धान्त–

1. युवा भाग लेना चुनते हैं।
2. युवा कार्य का निर्माण वहीं से होना चाहिए जहाँ युवा लोग हैं।
3. युवा कार्य युवा व्यक्ति और युवा कार्यकर्ता को सिखने की प्रक्रिया में भागीदार के रूप में पहचानता है।

युवा नीति है– सार्वजनिक प्राधिकरण उन अभिनेताओं के साथ काम कर रहे हैं जो युवा नीति को सूचित करने, विकसित करने, लागू करने में शामिल है। जैसे–युवा परिषदें, युवा गैर सरकारी संगठन, रूचि समूह, युवा समूह, युवा कार्यकर्ता, युवा शोधकर्ती, युवा लोग और भी बहुत कुछ। सिस्टम और संरचनाओं के साथ एक गतिशील प्रक्रिया जो लगातार बदलती रहती है।

अवसरों, भागीदारी, समावेशन, स्वायत्तता, एकजुटता के बारे में, बल्कि कल्याण, सीखने, खाली समय, रोजगार के बारे में भी।

युवा नीति से युवा सपनों को मिल रही नई उड़ान–

समावेशी और सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ते युवा आज प्रदेश के अभूतपूर्व समावेशी विकास और आकांक्षाओं का साक्षी बन रहा है। युवा नीति युवा उड़ान को नए पंख देने एवं संकल्पों की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ड्राफ्ट एन.वाई.सी. 2012 के प्रमुख बिन्दु कुछ इस प्रकार हैं–

- राष्ट्रीय युवा नीति 2012 का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है ताकि वह अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर उद्यमिता के अवसर प्रदान कर सकें।
- **लक्ष्य समूह लक्ष्य हैं–**
  1. युवा छात्र
  2. प्रवासी युवा
  3. ग्रामीण युवा
  4. जनजातीय युवा
  5. युवा जातीय जोखिम
  6. हिंसक संघर्ष युवा
  7. स्कूल से बाहर/ड्रॉप आउट युवा

8. युवा में विचारधारा देखभाल
9. सामाजिक/नैतिक कला समूह के साथ

- राष्ट्रीय युवा नीति ड्राफ्ट 2012 यह प्रस्तावित करता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय आदर्श के बाद युवा नीति की समीक्षा की जाये।
- राष्ट्रीय युवा नीति 2012 केन्द्र और राज्य स्तर पर एक मजबूत समन्वय तंत्र की स्थापना की जाती है।
- इस नीति के मुख्य बिन्दु में नीतिगत व्यवधान पर आधारित एक अनुवर्ती कार्य योजना के माध्यम से लक्ष्यों और निजीकरण में नामांकन को नामांकित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय युवा नीति 2012 के ड्राफ्ट में 16–30 वर्ष आयु, वर्ग का विस्तृत विवरण दिया गया है जिसमें युवाओं को तीन समूहों में विभाजित करने की योजना है – पहला उपसमूह 16–20 वर्ष आयु वर्ग का होगा जो युवाओं को शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है जिससे शिक्षा की सुविधा शामिल है। दूसरा उपसमूह 20–25 वर्ष वर्ग का रोजगार कौशल तक पहुँचना शामिल है। तीसरा उपसमूह 25–30 वर्ष आयु वर्ग का होगा जिसमें उद्यम और कौशल की पहुँच शामिल है।

युवा नीति के उद्देश्य–

1. राज्य में स्वस्थ युवा पीढ़ी का विकास करना, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।
2. राज्य में शासन के सभी स्तरों पर युवाओं की भागीदारी और सामाजिक नियोजन होना चाहिए।
3. राज्य में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा सामुदायिक सेवा में बढ़ावा देना चाहिए।

राज्य युवा नीति लक्ष्य– राज्य युवा नीति का प्रमुख लक्ष्य ''राज्य के युवा वर्ग को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त व सक्षम करके उनका सर्वांगीण विकास करना है तथा उनके माध्यम से राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना।''

सन्दर्भ – राष्ट्रीय युवा नीति–2014